57

10रु. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

CF 20/

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

1– रमेश, मन्नू, ग्यादीन तनय हल्कई यादव, भजन यादव

2– सैंदल तनय जुगला यादव, I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2017/4243

सभी निबासी ग्राम मोखरा, तह0 बडागांव, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

...............आवेदकगण

B-O-R.
31 AUG 2017

वनाम

हीरालाल कुशवाहा तनय मुनईया कुशवाहा,

निबासी ग्राम मोखरा, तह0 बडागांव, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 34/निग/2010–11 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21/08/2017 से परिवेदित होकर कर रहे है। जो समय सीमा है, माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण को नायब तहसीलदार बडागांव धसान, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 69/अ–19(4)/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 17/02/1994 के द्वारा भूमि खसरा नंबर 170 ,171 ,172 रकवा कमशः 0393 हैक्टर, 1.096 हैक्टर, तथा 0.097 हैक्टर ब्यबस्थापन पटटे में प्राप्त हुई थी। आवेदकगण उपरोक्त भूमि पर ब्यबस्थापन के करीब 15–20 साल पूर्व से काबिज होकर कृषिकार्य करते चले आ रहे थे, आवेदकगणं द्वारा उपरोक्त भूमि मे काफी श्रम एवं लागत लगाकर उपजाउ एवं कषि योग्य बना लिया था, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा बिधिवत रूप से पटटा जारी किया गया था।

184
23/10/17

3– यह कि उपरोक्त पटटा जारी होने के करीब चौबीस साल उपरांत अनावेदक द्वारा एक निगरानी कलेक्टर महोदय के समक्ष की गई थी, जिसमें

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
म.नं.- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

[कृ. प

C.NE

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4243 रमेश विरूद्ध हीरालाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक रमेश आदि की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पटेरिया को ग्राह्यता पर दिनांक 14-09-2018 को सुना गया 3. यह निगरानी रमेश, मन्नू, ग्यादीन पुत्र हल्काई आदि के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म.प्र. के निगरानी प्रकरण क्रमांक 34/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 21-09-2017 से परिवेदित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत की गई है । कलेक्टर के उक्त आदेश अनुसार नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 69/अ-19(4)/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 17-02-1994 से प्रश्नागत भूमि शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। 4. आवेदक अभिभाषक के तर्कों एवं निगरानी आवेदन व कलेक्टर के आदेश दिनांक 21-08-2017 का अध्ययन व मनन किया गया । उक्त आदेशानुसार निगरानीकर्ताओं को प्रश्नागत भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, स्पष्ट है कि दखल रहित अधिनियम 1980 के अंतर्गत भूमि का व्यवस्थापन अन्य शर्तों के साथ-साथ वर्ष 02-10-1984 को भूमि के कब्जे के आधार पर किया जाता है । 5. अतः कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक अभिभाषक को नोट कराया जाये । 24.9.18 (आर.के. जैन) सदस्य	